

पत्र संख्या-3ए-2-वे0पु0-16/2009 (अंश-1)

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

संकल्प

जिलाधिकारी एवं सहायक

विषय: NOV 2010

सातवें वेतन पुनरीक्षण के क्रम में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र 630, दिनांक 21/01/2010 की कंडिका 10 का स्पष्टीकरण ।

सारण, छपरा

वित्त विभाग के विषयांतर्गत वर्णित परिपत्र की कंडिका 10 के प्रथम परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि जिस कर्मचारी को 01/01/2006 को एक वर्ष से अधिक की अवधि से वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं हुआ है उसे 01/01/2006 को वेतनमान में प्राप्त वेतन प्रक्रम पर एक वेतनवृद्धि की राशि को जोड़कर प्रतिस्थानी वेतनमान में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा ।

2. वित्त विभाग के संकल्प 3277 वि0 (2), दिनांक 02/06/1999 जो छठे वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर वेतन निर्धारण आदेश 660, दिनांक 28/02/2009 की संशोधनी है, की कंडिका 2 में कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के क्रम में वेतनमान के अधिकतम प्रक्रम पर वेतन निर्धारण/वेतन प्राप्ति के उपरांत प्रति दो वर्ष एक गत्यावरोध वेतनवृद्धि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया था तथा अधिकतम तीन गत्यावरोध वेतनवृद्धि की अनुमान्यता थी ।

उक्त के क्रम में वेतन समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्गत वित्त विभाग के परिपत्र 630, दिनांक 21/01/2010 की कंडिका 10 के प्रथम परन्तुक में कर्मचारियों को जिन्हें एक वर्ष से अधिक की अवधि से वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं हुआ हो, गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से निर्धारित है । स्पष्ट है कि अपुनरीक्षित वेतनमान में जिस कर्मचारी को प्रथम या द्वितीय गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त है उन्हें ही मात्र द्वितीय या तृतीय गत्यावरोध वेतनवृद्धि के निमित्त 01/01/2006 को प्राप्त वेतन पर एक वेतनवृद्धि जोड़कर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाना है । जिस कर्मचारी को 01/01/2006 के पूर्व तीनों गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त हो चुका हो उन्हें कंडिका 10 के प्रथम परन्तुक के अनुसार 01/01/2006 को प्राप्त वेतन पर वेतनवृद्धि जोड़कर प्रतिस्थानी वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाएगा । उपर्युक्त वर्णित स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही वित्त विभाग संकल्प 630, दिनांक 21/01/2010 के शेड्यूल IV के अंदर फिटमेंट टेबुल में अपुनरीक्षित वेतनमान का तीन गत्यावरोध का पुनरीक्षित प्रक्रम अंकित किया गया है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे0पु0-16/2009 (अंश-1)

पटना/दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को उनके पत्रांक जी0एम0 59, दिनांक 22/03/2010 के प्रसंग में सूचनार्थ ।

ह0/-

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक-3ए-2-वे0पु0-16/2009 (अंश-1)

पटना/दिनांक:-

प्रतिलिपि-वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग, वित्त विभाग/वेतन निर्धारण कोषाग, वित्त विभाग/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ ।

ह0/-

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-3ए-2-वे0पु0-16/2009 (अंश-1) - 17838

पटना/दिनांक:- 21/7/2010

प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी सूचनार्थ ।

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

(ग) (ख) (ग)

(क) सः

गृहम् आगच्छति ।

1. दिये गये शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(अस्माकं, हिमालयात्, परोपकाराय, विद्यालयात्, रामस्य)